परिपत्र

	वन निस्तार सुविधाएं	
क्रमांक	परिपत्र का विषय	परिपत्र संख्या एवं दिनांक
1	2	3
1	निस्तार डिपो से निस्तारियों/बसोड़ों को अधिक से अधिक बांस प्रदाय करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निस्तार/399–400 दिनांक 11.02.2019
2	प्रदेश के पान बरेजा परिवारों को निस्तार दर पर बांस प्रदाय करने बाबत्।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निस्तार/855–856 दिनांक 18.03.2019
3	प्रदेश की संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019।	पत्र क्रमांक/उत्पा./निस्तार/40/भाग–7/4735–4736 दिनांक 22.11.2019

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) सतपुड़ा भवन
मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक : 11/2/20,

क्रमांक / उत्पा. / निस्तार / 399

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– निस्तार डिपो से निस्तारियों / बसोड़ों को अधिक से अधिक बांस प्रदाय करने बावत्।

––::00::––

विषयांतर्गत लेख है कि सूचना प्राप्त हो रही है कि निस्तार एवं बसोड़ों को प्रदाय किये जाने वाला व्यापारिक बांस उन्हें प्रदाय न किया जाकर नीलाम द्वारा निर्वर्तन किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ वनमंडलों में स्थापित निस्तार डिपो से निस्तारियों / बसोड़ों को अधिक से अधिक बांस उपलब्धता के आधार पर प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। बसोड़ों को प्रदाय किये जाने वाले साईज 4.60 तथा 5.50 लंबाई के बांस नीलाम में तभी रखे जावें, जब बसोड़ों की मांग की समुचित पूर्ति हो जावे।

11/2/19

(एस. पी. शर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक : 11/2/2019

पृ0 क्रमांक / उत्पा. / निस्तार / 400

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय / उत्पादन), म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश भोपाल

11/2/19

Desktop/nistar/Nistar

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) सतपुड़ा भवन
मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./निस्तार/855 भोपाल, दिनांक : 18/3/19

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषय :– प्रदेश के पान बरेजा परिवारों को निस्तार दर पर बांस प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–07–02/2006/10–3 दिनांक 10.03.2019

––::00::––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की फोटो प्रति संलग्न कर लेख है कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश के पान बरेजा परिवारों को निम्नानुसार निस्तार दर पर बांस प्रदाय किया जावें :–

1. बांस विभागीय निस्तार डिपों से निस्तार दर पर प्रदाय किया जावे।
2. बांसों का प्रदाय निस्तार डिपों में उपलब्धता के आधार पर पान बरेजा परिवारों को निस्तार नीति के तहत ग्राम पंचायत सरपंच के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदाय किया जावेगा तथा निस्तार नीति के तहत पान बरेजों परिवारों का पंजीयन भी किया जावे।
3. पान बरेजा परिवारों को उनकी आवश्यकतानुसार 2.00, 2.50, 3.10, 3.70 एवं 4.60 मीटर साईज के बांसों का प्रदाय किया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. एस. पी. रयाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0 क्रमांक/उत्पा./निस्तार/856 भोपाल, दिनांक : 18/3/19

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।
2. समस्त वनमंडलाधिकारी, क्षेत्रीय, मध्यप्रदेश की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार शासन निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

15/3/19

Desktop/nistar/Nistar

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) सतपुड़ा भवन
मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निस्तार / 40 / भाग–7 / 4735 भोपाल, दिनांक : 22/11/2019

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषयः– प्रदेश की संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019.

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ 07–02 / 2006 / 10–3 दिनांक 13.11.2019

––::00::––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019 की फोटोप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर लेख है कि संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019 को निस्तार पत्रिका 2020 में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

22/11/19

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0 क्रमांक / उत्पा. / निस्तार / 221 / 4736 भोपाल, दिनांक : 22/11/2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सूचना एवं प्रौद्योगिकी), म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि प्रदेश की संशोधित निस्तार नीति वर्ष 2019 वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

D/Nistar